

सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को दी है चुनौती

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सोमनाथ भारती ने साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता सतीश उपाध्याय के मालवीय नगर सेट से निर्वाचन को चुनौती दी है। उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को 2,131 वोटों से हराया था। इस नतीजे को सोमनाथ भारती ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से याचिका खारिज होने के बाद अब सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस किंगरा ने और जस्टिस संधीप मेहता की पीठ के सामने सोमनाथ भारती की याचिका सुनवाई के लिए लाई गई। जिस पर पीठ ने याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी।

बहुजन हिताय!



बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail: saksham.bharat@hotmail.com

Member: CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 246 ● नई दिल्ली ● शनिवार 18 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail: rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गौता भारती प्रबन्धन को-2/370, सुल्तानपुरी दिल्ली-86

‘प्रेस की आजादी जरूरी, लेकिन गैर-जिम्मेदार पत्रकारिता बर्दाश्त नहीं’, दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी



नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकारिता की बदलती तस्वीर पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज के दौर में मोबाइल फोन और माइक लेकर कोई भी खुद को पत्रकार बताने लगता है, जबकि उसके पास न पत्रकारिता की ट्रेनिंग होती है, न नैतिक जिम्मेदारी और न ही किसी तरह की जवाबदेही। कोर्ट ने कहा कि प्रेस की आजादी लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन इसका इस्तेमाल गैर-जिम्मेदार पत्रकारिता, लोगों को धमकाने-धमकाने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए नहीं किया जा सकता। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि अब समय आ गया है कि संसद ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करने पर विचार करे, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे और पत्रकारिता में जवाबदेही, नैतिकता और कानून का सम्मान भी सुनिश्चित हो। अदालत ने कहा कि मोडिया के पास जनमत बनाने की बड़ी ताकत है, इसलिए उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है।

‘सेल्फ स्टाइल रिपोर्टिंग से बढ़ सकता है तनाव’

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कई बार खुद को रिपोर्टर बताने वाले लोग आक्रामक तरीके से सवाल पूछते हैं, अधूरी या एकतरफा खबरें दिखाते हैं और सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसी रिपोर्टिंग से समाज में तनाव बढ़ सकता है, लोगों के बीच दूरी पैदा हो सकती है और कई बार सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ सकता है।

सीमापुरी में यूट्यूब रिपोर्टों से मारपीट का मामला

दरअसल, यह टिप्पणी कोर्ट ने सीमापुरी में जुलाई 2025 में हुई एक घटना की सुनवाई के दौरान की। दो फ्रीलांस यूट्यूब रिपोर्टर कथित अवैध धार्मिक ढांचे पर वीडियो बना रहे थे। आरोप है कि वहां मौजूद भीड़ ने उनके साथ मारपीट की, मोबाइल फोन और कैमरे की बैटरी छेदन ली इस मामले में गिरफ्तार दो लोगों ने हाईकोर्ट में जमानत की मांग की थी। पुलिस की जांच पर भी कोर्ट नाराज वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि पुलिस ने गलत ढांचा किया कि आरोपी वीडियो फुटेज में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड में ऐसा नहीं मिला। विरोधाभास स्पष्ट करने के लिए जांच अधिकारी के अदालत में पेश नहीं होने पर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की।

वकील हड़ताल पर हो सकते हैं, जज और पुलिस नहीं

जस्टिस कठपालिया ने कहा मैं जानता हूं कि वकील हड़ताल पर हैं, लेकिन न जज हड़ताल पर हैं और न पुलिस हो सकती है। नागरिकों की आजादी से जुड़े मामलों में पुलिस की यह लापरवाही बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी।

‘फर्ज नहीं निभा सकते तो मत लिखो खुद को डॉक्टर’: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, बच्ची के इलाज से कर दिया था इनकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चार वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में समय पर इलाज नहीं देने पर दो निजी अस्पतालों और उनके डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने दोनों अस्पतालों से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने डॉक्टरों से कहा, अगर आप अपना फर्ज नहीं निभा सकते तो आपको अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ लिखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके पास इलाज की सुविधा नहीं थी तो आपको खुद बच्चों को दूसरे अस्पताल लेकर जाना चाहिए था। क्या आपने उसे इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि वह गरीब थी? क्या वह आपको फीस नहीं दे सकती थी? 16 मार्च को चार वर्षीय बच्ची को कथित तौर पर पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति चौकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। जब बच्ची वापस नहीं लौटी तो उसके पिता ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में बच्ची बेहोशी की हालत में खून से लथपथ मिली। परिजन उसे दो निजी अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन



आरोप है कि दोनों अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बच्ची को गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इस मामले में गाजियाबाद पुलिस की एफआईआर दर्ज करने और जांच को लेकर दिखाई गई ‘अनिच्छ’ पर भी सवाल उठाए थे। अदालत ने कथित तौर पर इलाज से इनकार करने वाले दोनों निजी अस्पतालों- खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर और सेंट जोसेफ (मरियम) अस्पताल- को आरोपों पर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह मामला पीड़ित के पिता की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। दिहाड़ी मजदूर निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) या सीबीआई से जांच

करने की मांग की है। 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में गाजियाबाद पुलिस के ‘संवेदनहीन रवैये’ की भी कड़ी आलोचना की थी। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार, संबंधित थाना प्रभारी, दोनों अस्पतालों और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किए थे। साथ ही पुलिस और अस्पतालों को निर्देश दिया था कि पीड़िता और उसके परिवार की पहचान उजागर न हो तथा रिकॉर्ड से ऐसी सभी जानकारियां हटा दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस को यह भी निर्देश दिया था कि वह पीड़ित परिवार को परेशान न करे। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि खून से लथपथ बच्ची को दोनों निजी अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया और बाद में सरकारी अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट का एवशन, शरजील इमाम की अर्जी पर पुलिस को नोटिस; 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली दंगा से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली जेएनयू पूर्व छात्र शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने पुलिस को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। दिल्ली दंगा के बड़ी साजिश मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद सहित कई आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। शरजील इमाम की दूसरी नियमित जमानत याचिका को चार जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। शरजील इमाम को 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था। शरजील पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड में से एक होने का आरोप था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि गुलाफिशा फातिमा और सैयद इफ्तखार अंदाबी के मामले में आए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। इसलिए, जब तक यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता, तब तक वह किसी भी आधार पर शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर विचार नहीं कर सकती। जमानत की मांग करते हुए शरजील इमाम ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत की उनकी अर्जी की स्वतंत्र रूप से जांच न करके गलती की है। उन्होंने कहा कि छह साल बीत जाने के बाद भी, ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही अभी तक आरोप तय करने की जिरह से आगे नहीं बढ़ पाई है। पांच जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि सह-आरोपित गुलाफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान सहित अन्य आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

डूंसू चुनाव 2026 की तैयारी शुरू: पोस्टर-बैनर पर सख्ती, ‘वॉल ऑफ डेमोक्रेसी’ पर ही हाथ से बनी सामग्री होगी मान्य

नई दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ (डूंसू) चुनाव-2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सितंबर में होने वाले इन चुनाव के लिए डीयू प्रशासन ने इस बार सख्त रुख अपनया है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की प्रिंटेड प्रचार सामग्री, पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केवल हाथ से बनाई गई प्रचार सामग्री को निर्धारित वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर लगाने की अनुमति होगी। यदि कोई उम्मीदवार किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसका नामांकन रद्द होगा। डीयू प्रॉक्टर प्रो मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रॉक्टर कार्यालय में डूंसू पदाधिकारियों और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट और लिंगदेह समिति की गाइडलाइंस के अनुरूप चुनाव संचालन और आचार संहिता पर विस्तार से चर्चा की गई। छात्र संगठन प्रतिनिधियों ने इन पर अपनी सहमति भी जताई। बैठक में तय किया गया कि कैंपस



और उसके आसपास किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। खंभों, दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के प्रिंटेड या डिजिटल होर्डिंग, बैनर अथवा फ्लेक्स नहीं लगाए जाएंगे। दीवारों पर ब्लॉक प्रिंटिंग या स्प्रे पेंटिंग भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। डीयू प्रॉक्टर डॉ मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि एमसीडी के विज्ञापन बोर्डों पर भी किसी प्रकार का फ्लेक्स या पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो

विश्वविद्यालय प्रशासन आवश्यक कार्रवाई के लिए एमसीडी आयुक्त को सूचित करेगा। इसके अलावा कार, जीप, बस, ऑटो, ई-रिक्शा पर उम्मीदवार के नाम वाले स्टिकर नहीं लगाए जाएंगे। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान हर उम्मीदवार के लिए सिर्फ पांच कारों की इजाजत होगी और ट्रैक्टर, जेसीबी या जानवरों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। टिटेड शीशों, बिना नंबर प्लेट या छिपी हुई नंबर प्लेट वाले वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा। कैंपस में अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ

ट्रैफिक पुलिस के नियमों के तहत चालान या गाड़ी को उठाने की कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार अपने नाम वाले किसी भी प्रकार के उपहार, स्मृति-चिह्न, कैनोपी, झंडे या अन्य प्रचार सामग्री का वितरण नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसी सामग्री बरामद होती है तो संबंधित उम्मीदवार का नामांकन तक रद्द किया जा सकता है। उम्मीदवार को प्रचार सभाओं के आयोजन के लिए पहले से प्रॉक्टर कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि कैंपस में यातायात बाधित न हो और विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यक्रमों में टकराव की स्थिति न बने। इसके अलावा, प्रचार के लिए किसी भी कॉलेज में एक बार में अधिकतम पांच विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि छात्राओं के कॉलेज और होस्टल में केवल छात्राएं ही प्रचार कर सकेंगी। प्रो सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान छात्र संगठनों ने नियमों के पालन का भरपूर जवाब दिया है। यही नियम कॉलेजों को भी बताए जाएंगे। वहीं आचार संहिता पहले से ही लागू है।

20वें दिन भी नहीं झुके सोनम वांगचुक, बोले- ‘मैं किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा’

नई दिल्ली । जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को कहा कि वह ‘किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जीवित रहेंगे’। उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 20वां दिन है और डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से चल रहा उनका उपवास अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। परीक्षा में कथित गड़बड़ाइयों को लेकर जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (कॉजपा) का विरोध प्रदर्शन 28वें दिन में प्रवेश कर गया है। काँग्रेस नेता पवन खेड़ ने आज

वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। प्रदर्शन स्थल पर समर्थकों को संबोधित करते हुए वांगचुक ने अपनी बिगड़ती शारीरिक स्थिति को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उनका संकल्प अडिग है। उन्होंने कहा, ‘मैं बाहर से कमजोर हूँ, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूँ। मुझे यकीन है कि आप सभी अंदर और बाहर, दोनों तरह से मजबूत हैं। हमें 20 जुलाई के लिए इस ऊर्जा की जरूरत है, जब हम संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। हम सब मिलकर लोकतंत्र के मंदिर में

अपनी बात रखेंगे।’ उन्होंने हल्के-फूल्के अंदाज में कहा, ‘मैं किसी भी हाल में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। अगर आप नहीं आए और 20 जुलाई का प्रदर्शन सफल नहीं हुआ, तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा।’ उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। पिछले 24 घंटों में वांगचुक का वजन 350 ग्राम और कम हो गया, जिससे उनका कुल वजन लगभग 9.5 किलोग्राम कम हो गया है। उनकी देखभाल कर रहे चिकित्सकों के दल की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के

अनुसार, वांगचुक का वजन अब 56.55 किलोग्राम है। उनका रक्तचाप 108/68 एमएमएचजी, रक्त शर्करा 80 एमजी/डीएल, पल्स रेट 72 प्रति मिनट और ऑक्सीजन संतृप्ता 96 प्रतिशत दर्ज की गयी। डॉक्टरों ने बुधस्तिवार को चेतावनी दी थी कि लंबे समय तक उपवास के कारण उनकी हालत गंभीर हो गई है और अगर भूख हड़ताल जारी रखी, तो अगला चरण चिंताजनक हो सकता है और अंगों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। वांगचुक ने हालांकि, उपवास खत्म

करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिले बिना इसे खत्म करने से गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पूरा ध्यान 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को सफल बनाने पर होना चाहिए। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय भी पहुंच गया है, जिसने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वांगचुक की सेहत पर रोज नजर रखें और अगर उनकी हालत बिगड़ती है, तो उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं। भूख हड़ताल कर रहे अन्य लोगों की

हालत भी बिगड़ रही है। भाकपा (माले) लिबरेशन से संबद्ध ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने कहा कि उसके सदस्य नेत्र, मनीष और आमीन की हालत ‘गंभीर’ हो गई है। ये तीनों भी प्रदर्शन स्थल पर एक अलग मंच पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक बयान में आइसा ने कहा कि निर्जलीकरण की वजह से आमीन को ‘हृदयोपलेमिक शॉक’ का खतरा था, नेत्र का रक्त शर्करा स्तर खतरनाक रूप से गिरकर 49 एमजी/डीएल हो गया था।

सक्षम भारत हिन्दी दैनिक

सम्पादकीय...

बदलाव की तैयारी

संसद के अगामी मासूम सत्र में केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इनमें राष्ट्रीय सम्मान, न्यायिक व्यवस्था, कर प्रणाली, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार द्वारा जारी विधायी कार्यसूची के अनुसार इस सत्र में पांच नए विधेयक पेश किए जाएंगे, जबकि कुछ पहले से लंबित विधेयकों पर भी चर्चा और पारित करने का प्रयास किया जाएगा। इन प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, कानूनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर स्पष्ट कानूनी प्रबंधन स्थापित करना है। सबसे अधिक चर्चा राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर हो रही है। यह विधेयक वर्ष 1971 के राष्ट्रीय सम्मान के अधिनियम की रोकथाम अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति नानाद्वंद्वकर राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन का अपमान करता है या उसके गायन में व्यवधान उत्पन्न करता है, तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। वर्तमान में वह विधेयक भारतीय जनता पार्टी को संसद अल्पराजित सारणी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विचारार्थीन है। समिति इस पर विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त कर रही है और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है। माना जा रहा है कि समिति की सिफारिशों के बाद सरकार इस विधेयक को संसद में आगे बढ़ा सकती है। इस प्रस्तावित संशोधन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा की संभावना है। समर्थकों का मानना ​​है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान आवश्यक हैं। वहीं, कुछ विपक्षी दल और नागरिक अधिकार समूह इस बात पर जोर दे सकते हैं कि कानून बनाने समय औपचारिक की रचनाएं और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। सरकार की सूची में दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के क्लिन्नित पंजीकरण से संबंधित विषयों की अधिक सख्त बनाना है। सरकार का मानना ​​है कि समय पर पंजीकरण न होने से सरकारी रिकॉर्ड, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह विधेयक पहले भी संसद में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पिछले सत्र में संयुक्त विषय ने इसका विचार किया था और यह पारित नहीं हो सका। अब यह चर्चा है कि सरकार कुछ संशोधनों के साथ इसका नया संस्करण मासूम सत्र में ला सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। सरकार द्वारा सूचीबद्ध तीसरा प्रमुख विधेयक आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 है। इसके माध्यम से आयकर कानून में आवश्यक बदलाव किए जाने की संभावना है। हालांकि अभी संशोधन का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, कर अनुपालन को बढ़ावा देना और डिजिटल अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनी ढांचे को अद्यतन करना हो सकता है। चौथा प्रस्तावित विधेयक सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में संशोधन करना है। देश में लगातार बढ़ते लंबित मामलों और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो इससे मामलों के शीघ्र निपटारे और न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते दबाव को कम करने में सहायता मिल सकती है। सरकार का पांचवां नया प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 है। भारत की अर्थव्यवस्था में एएमएसएमई क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। यह क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और देश के विनिर्माण तथा निर्यात में बड़ी भूमिका निभाता है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहनी बनाने, वित्तीय सहायता तक पहुंच आसान करने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इन पांच नए विधेयकों के अतिरिक्त सरकार ने कुछ लंबित विधेयकों को भी मासूम सत्र की कार्यसूची में शामिल किया है। इनमें बिदेशी अरादन (विनियमन) संशोधन विधेयक प्रमुख है, जिसे बजट सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अरादन से संबंधित नियमों में संशोधन करना है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। इसी प्रकार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 भी अभी संसद की संयुक्त समिति के विचारार्थीन है। यह विधेयक देश को उच्च शिक्षा व्यवस्था में संस्थागत सुधार और नई शैक्षणिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से लाया गया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस पर आगे की संसदीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगामी मासूम सत्र विधायी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। राष्ट्रीय सम्मान, न्यायपालिका, कर सुधार, एएमएसएमई विकास और नागरिक पंजीकरण जैसे विषय सीधे तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन विधेयकों पर संसद के भीतर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। विपक्षी दलों के रुझान पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। विशेष रूप से ‘वंदे मातरम्’ से संबंधित संशोधन विधेयक और जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून पर विषय सरकार से कई प्रश्न पूछ सकता है। वहीं सरकार इन विधेयकों को प्रशासनिक सुधार, राष्ट्रीय हित और सुशासन की दिशा में आवश्यक कदम के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी। कुल मिलाकर, संसद का अगामी मासूम सत्र केवल राजनीतिक बहस का मंच नहीं होगा, बल्कि कई महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की दिशा तय करने वाला सत्र भी साबित हो सकता है। यदि प्रस्तावित विधेयक संसद से पारित होते हैं, तो उनका प्रभाव न्यायिक व्यवस्था, कर प्रशासन, उद्योग, नागरिक सेवाओं और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनी ढांचे पर लंबे समय तक दिखाई देगा। ऐसे में देश की निगाहें अगामी संसद सत्र की कार्यवाही और इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर होने वाली चर्चा पर टिकी रहेंगी।

विचार-मंथन

ये इथेनॉल का झमेला? क्या और क्यों?

पिछले कुछ हप्तेों में इथेनॉल और ई-20 (४२0) को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है। आम आदमी खुद को ठग हुआ महसूस कर रहा है और नज़रनी उझिर कर रहा है। वहन चलकों की शिकारत है कि गाँइयों के इंधन में दिक्कतें आ रही हैं, माइलेज पहले की तुलना में कम हो गया है और खर के पुरे अर्थेष्कृत नल्दी भिंस रहे हैं। इस पूरे बिवाद के केंद्र में सरकार है, जिस पर थोड़ाने और फलत मंश के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही वह भी कहा जा रहा है कि जिस योजना को मूल रूप से वर्ष 2030 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाय था, उसे नल्तब्बाओं ने आगे बढ़या गया। हालाँकि, इस बिवाद को समझने से पहले इथेनॉल और ई-20 की पूरी कहानी जानना जरूरी है। आखिर इथेनॉल क्या है? इसकी संरचना क्या है? इसे लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? आम आदमी खुद को ठग हुआ क्यों महसूस कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सरकार ने ऐसा कुछ किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था? सरल शब्दों में कहें तो इथेनॉल एक ऐसा द्रव है, जिसे फसलों और कृषि अवशेषों से तैयार किया जाता है। इसे पहले किमपन (फर्मेटरन) की प्रक्रिया से गुंवाया जाता है, फिर आइसन (डिस्टिलेशन) और शुद्धिकरण (प्यूरिफिकेशन) किया जाता है। कुल मिलाकर, यह फसलों से बने वाला एक जैविक ईंधन है। इसके बाद इसे पेट्रोल में मिलाकर देपहिया और चारपहिया वहनों मेंहित विभिन्न वहनों में इस्तेमाल किया जाता है। भारत इस ईंधन का उपयोग करने वाला पहला देश नहीं है। ब्राजील, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लंबे समय से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग वहनों में किया जा रहा है। भारत ने भी वर्ष 2001 में इथेनॉल मिश्रण की शुरुआत की थी। हालाँकि उस समय पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा केवल लगभग 1 से 1.5 प्रतिशत थी, जो लगभग गण्य मंती ना सकती है। तब 2014 तक यह मिश्रण बढ़कर लगभग 5 प्रतिशत में थोड़ा कम हो गया था। वह सब सरकार के इथेनॉल प्लेनडिंग कार्यक्रम के तहत हुआ, जिसकी शुरुआत और देते में चैदी के बड़े अडिश्थे उपरदन के कारण की गई थी। बाद के व्षों में इथेनॉल मिश्रण का अनुपात बढ़कर पहले 10 प्रतिशत और फिर 15 प्रतिशत कर दिया गया। इसके साथ ही फसल और दूधे हुए चावल (ब्रोक्न राइस) जैसे अन्नानों की भी इथेनॉल उपरदन में शामिल किया गया। नतीजतन, अब इथेनॉल के उत्पादन के लिए बहु-स्रोत (मल्टी-

फीडस्टॉक) प्रणाली अपनाई जा रही है, जिसमें गन्ने के साथ-साथ अन्नान का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और वहनों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य पेट्रोल में क्या अंतर है? अट्टोमोबाइल उद्योग और दूसरे जुड़े कई संघनों के सुत्रों के अनुसार, दोनों एक ही श्रेणी (सेम क्लास) के ईंधन हैं। उनका कहना है कि इथेनॉल मूल रूप से डिग्रेडेटेड अक्जोहोल है जो तकनीकी रूप से पेट्रोल में मिश्रित किए जाने के लिए उपयुक्त है। हालाँकि, भारतीय सुपर एंड बायो-मैयूरेक्चरस एसोसिएशन के मुताबिक, इसकी एक प्रमुख कमी यह है कि इथेनॉल का उष्मीय मान (कैलोरीफिक वैल्यू) पेट्रोल की तुलना में कम होता है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ती है, ईंधन की ऊर्जा क्षमता घटती जाती है। यही वजह है कि बड़े संस्था में उष्मीयता शिकारत कर रहे हैं और खुद को ठग हुआ मासूम कर रहे हैं। यहाँ भारत का मॉडल देशों और कुछ अन्य देशों से अलग है। उन देशों में उष्मीयताओं की अपनी परदे का ईंधन चुनने का विकल्प मिला है, जबकि भारत सरकार ने ई-20 को अनिवार्य कर दिया है।

यानी वह ‘लो या छोड़ो’ (टेक इट ऑर लीव इट) जैसी व्यवस्था बन गई है। उष्मीयताओं के पास ई-20 ईंधन अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में इसे लेकर कई तरह की अशक्तों और प्रतिताय सामने आई हैं, जिनमें कुछ तथ्यों पर आधारित हैं, जबकि कई केवल अक्जोह, संदि और धामक जासरी का पौराणम है। सबसे बड़ी शिकारत यह है कि ई-20 को लागू करने का फैसला नल्तब्बाओं में लिया गया और इस पर पणित बिचार नहीं किया गया। जासरीों का मानना ​​है कि बेहतर तरीका यह होता कि सरकार मौजूद पेट्रोल के साथ-साथ ई-20 भी उपल्ब्ध कराती और वहन पालिकों व उष्मीयताओं को नई तकनीक और ईंधन मिश्रण को धीरे-धीरे अपनाने का अवसर देतीं। इसमें लोग अपनी इच्छा ये इसे स्वीकर करते, बनाय इसके कि इसे अडिश्थर रूप से उन पर लागू किया जाता। सरकार की ओर से भी यह अस्था की जा रही थी कि वह ई-20 को लेकर उष्मीयताओं के बीच जागरूकता अधिष्ठाण चल्तली, उन्हे इसकी कार्यप्रणाली और लाभों के बारे में बिभार से जासरी देती तथा इसमें जुड़े प्रतिताय और अशक्तोंओं को दूर करती। हालाँकि वह भी सच है

प्रतापगढ़ में ‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ बनी मिसाल: ग्रामीण महिलाएं हुई आत्मनिर्भर

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में आर्थिक स्वतंत्रता और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों को सुनिश्च करने के उद्देश्य से संचालित ‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का एक सरासत माध्यम सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों, युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता से जोड़कर उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इस कल्याणकारी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न वित्तीय, तकनीकी और संचालन सुविधाएं ग्रामीण प्रतिभाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मौल का पत्थर साबित हो रही है, जिससे गांवों से होने वाले पलायन में भारी कमी आई है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने के लिए संस्थागत ऋण की एक बेहद सुदृढ़ और पारदर्शी व्यवस्था की गई है। इसके तहत प्राप्त आवेदकों को बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह वित्तीय सहायता पूरा रूप से उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाती है जो उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकृत श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। पूंजी की इस सुलभ उपलब्धता से ग्रामीण युवाओं के लिए अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने की राह आरंभ आसान हुई है। योजना की सबसे महत्वपूर्ण सुविधा इसमें मिलने वाली भारी वित्तीय छूट और मार्गनि मंरी (सब्सिडी) की व्यवस्था है। प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाती है। इसके साथ ही, समाज के कमजोर और अराहित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं, दिव्यांगों और भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार में विशेष प्राथमिकता देने के लिए योजना के तहत 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी का

प्राप्तधान किया गया है। यह बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन नए ग्रामीण उद्यमियों पर शुरुआती कर्न के बोझ को काफी हद तक कम कर देता है। व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए केवल धन की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इसके लिए सही तकनीकी कौशल की भी आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के समन्वय से सभी वर्गीकृत लाभार्थियों के लिए व्यापक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाता है। इन मनुशुक्त प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीण उद्यमियों को आधुनिक मशीनों के कुशल संचालन, उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, वित्तीय प्रबंधन और विपणन के व्यावहारिक गुर सिखाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण उद्यमियों के सामने अपने निर्मित उत्पादों को बेचने और सही बाजार तलाशने की चुनौती के स्पष्ट समाधान के लिए एक एकीकृत विपणन सहायता तंत्र विकसित किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से श्रेणी, जिला और राज्य स्तरों पर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों, मेलों और बाजारों का आयोजन किया जाता है, जहाँ इन ग्रामीण उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उष्मीयताओं को सीधे बेचने के लिए पूरी तरह से निराला स्टॉल उपलब्ध करवा जाते हैं। साथ ही, इन ग्रामीण उद्यमों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए डिजिटल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। योजना की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, त्वरित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदन प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी इच्छुक आवेदक खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के आधिकारिक वेब पेटेल पर जाकर पर बैठे सुगमता से आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यह जरूरी है कि जनसंख्या के आधार पर सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे में अगर किसी संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो जाए लेकिन वहां की सीट एक ही रहे तो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व सदन में कम हो जाएगा। इस स्थिति को बदलने और सबको एक समान प्रतिनिधित्व देने के लिए पारसीमान किया जाता है। समय-समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की संख्या और उनकी सीमाओं का पुनर्विभाजन किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि... भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यह जरूरी है कि जनसंख्या के आधार पर सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे में अगर किसी संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो जाए लेकिन वहां की सीट एक ही रहे तो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व सदन में कम हो जाएगा। इस स्थिति को बदलने और सबको एक समान प्रतिनिधित्व देने के लिए पारसीमान किया जाता है। समय-समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की संख्या और उनकी सीमाओं का पुनर्विभाजन किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी संसदीय क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाए तो उस सीट को दो टुकड़ों में बांटकर दो सीट बनाई जा सकती है। केन्द्र की मोदी सरकार संसद में पासून सत्र में पारिषीमन से जुड़े स्थिधान संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक फिर से लाने की दैयरी कर रही है। मत 17 अप्रैल को सरकार संख्या बल जुटाने में विफल रही थी इसलिए स्थिधान संशोधन विधेयक फिर गया था। विधेयक की पास कसने के लिए दो तिहाई यर्बिन 352 सीटें चाहिए थी। भारत में आजकी के बाद ये अब तक कुल 4 बार पारिषीमन की प्रक्रिया पूरी हुई है। 1952, 1963 और 1973 में जब पारिषीमन हुआ तो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ीं और उनकी सीमाएं भी ठेकाव तय हुईं, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा सीटों की संख्या को प्रेजेन कर दिया गया था। नौवें बार पारिषीमन हुआ 2002 में इस पारिषीमन में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, सिर्फ उनकी सीमाएं बदलीं। 1976 में सीटों की संख्या नौ प्रेजेन हुई थी, उसी अब सोलने की ठेकरी है। पारिषीमन जनसंख्या के आधार पर होता है और दक्षिण के राज्यो ने जनसंख्या नियंत्रण पर काफी काम किया है और देश के विकास में भागीदार बने हैं, उनकी संका यह है कि अगर जनसंख्या को ही पारिषीमन का आधार बनाया गया तो उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक सत्ता में कम हो सकता है, इसलिए ये जनसंख्या आधारित पारिषीमन का विरोध कर रहे हैं। संसद में इस मुद्दे को लेकर साकार और विषाध में तीखी नेकहोर्क हुई थी। विष्णु ने यह आरोप भी लगाया था कि महिला आरक्षण के नाम पर सरकार देश में पारिषीमन अपने हितान्न ये करारत उसका लाभ लेना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी और मुख्यमंत्री अमित शाह ने बार-बार यह कहा था कि सरकार जरी शक्ति की उनका अधिकार देना चाहती है जो व्षों से लंबित है। पारिषीमन विधेयक के पारित हो जाने से देश में लोकसभा सीटों की संख्या 550 से बढ़कर 850 तक हो जाएगी क्योंकि पारिषीमन 1971 की बनाय 2011 की जनगणना के आधार पर होता। दक्षिण भारतीय राज्यो को यह आशंका है कि यदि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होतीं हैं तो सत्ता पर हिन्दी भाषी राज्यो का स्वदब बढ़ जाएगा क्योंकि उत्तर भारत के राज्यो जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है।

यमुना प्राधिकरण बना हाईटेक मैनुफैक्चरिंग हब, निवेश और रोजगार के नए युग की शुरुआत

उत्तर प्रदेश आज देश के औद्योगिक विकास की नई धुरी बनकर उभर रहा है। बेहतर आधारभूत संरचना, निवेशक-अनुकूल नीतियां, मजबूत कानून-व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था ने प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उसका वास्तविक उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देना और युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतरीन भविष्य उपलब्ध कराना होता है। लंबे समय तक उच्च तकनीक आधारित उद्योग देश के कुछ चुनिंदा राज्यो तक सीमित रहे, जिसके कारण बड़े संस्था में युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यो का रुख करना पड़ता था। लेकिन उत्तर

प्रदेश सरकार की दूरदर्शी औद्योगिक नीति ने इस स्थिति को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज प्रदेश में विकसित हो रहे आधुनिक औद्योगिक लक्ष्यों ने केवल निवेश आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान दे रहे हैं। यौद्य क्षेत्र में नमरंतर आधारित औद्योगिक विकास मॉडल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (इएमपी), मेडिकल डिवाइस पार्क, अप्लैड पार्क, टॉप पार्क, एएमएसएमई पार्क, ओडोओपी पार्क तथा इलैस्टिक पार्क जैसे अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उद्योगों को निरव्तररयी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, उत्पादन लागत कम करना और निवेशकों के लिए एक समेकित औद्योगिक वातावरण तैयार करना है। यह मॉडल उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ प्रदेश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तब प्राप्त हुई, जब भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यौद्य के सेक्टर-10 में 20६40 एकड़ क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग

क्लस्टर (इएमपी) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। लगभग 417 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 144.48 करोड़ रुपये तथा यौद्य द्वारा लगभग 272.52 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से अत्याधुनिक औद्योगिक अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए निरव्तररयी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। परियोजना का निर्माण चरणबद्ध तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है और निर्धारित समय सीमा में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। यौद्य के सेक्टर-8 में विकसित हो रही अत्याधुनिक सौर ऊर्जा निर्माण इकाई प्रदेश के हितों औद्योगिक विकास को नई पहचान बन रही है। लगभग 200 एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाली इस परियोजना में 8,253 करोड़ रुपये के निवेश हो रहे हैं। यहां सौर सेल और सौर मॉड्यूल का निर्माण किया जाएगा, जिससे भारत की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं को मजबूती मिलेगी। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। यह निवेश केवल उद्योग की स्थापना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर सहायक उद्योगों, सेवा क्षेत्र और लघु उद्यमों को भी नई गति मिलेगी। वैश्विक स्तर

पर तेजी से बढ़ती समीकंडक्टर उद्योग की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। यौद्य के सेक्टर-10 स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर में लगभग 3,250 करोड़ रुपये के निवेश से अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। यहां प्लेक्सिबल पीसीबी, हार्ड ड्रेसरी इंटरकनेक्ट (एचडीआई) पीसीबी तथा समीकंडक्टर थ्रूसिल्ट जैसे उच्च तकनीक उत्पादों का निर्माण होगा। इस परियोजना से लगभग 1,500 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। यह निवेश उत्तर प्रदेश को देश के उभरते समीकंडक्टर विनिर्माण मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसी प्रकार यौद्य के सेक्टर-8 में इलेक्ट्रॉनिक्स कर्पोरेटस निर्माण की एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत लगभग 3,532 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। इस इकाई में कॉपर बलेट लेमिनेट, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक कर्पोरेटस का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन और अधिक मजबूत होगी तथा लगभग 2,000 युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही, सहायक उद्योगों के विकास से अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाएं भी व्यापक स्तर पर बढ़ेंगी।

सामने, प्रकाशक, मुद्रक विष्णु कुमार भारती ने कन्या ऑफसेट प्रिन्टर्स, ई-9, स्याम पोस्टलक एक्स, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, मुनगापुरी, दिल्ली-86 से इकट्ठीत किया। सम्पादक : विष्णु कुमार भारती, मो : 09320933548 सम्पादक चर में इकट्ठीत ताम्पों से संग्रहित का सम्पाद ईनंग अवसरक नहीं कियासुरत केकेत दिल्ली केंद्र में हैं।[02330209308882]

मानसून सत्र 2026: संसद में आएगा ‘वंदे मातरम’ अपमान पर सख्त कानून, एफसआरए समेत कई विधेयक होंगे पेश

नई दिल्ली । राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने तथा जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त करने संबंधी विधेयकों सहित कई विधेयकों को 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन जारी कर यह भी बताया कि सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एफसआरए) को विचार और पारित कराने के लिए भी सूचीबद्ध किया है। यह विधेयक बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन उस समय इस पर विचार और पारित नहीं करवाया गया। माना जा रहा है कि उस समय केरल में विधानसभा चुनाव होने के कारण कुछ नगों, खासकर ईसाई परमार्थ संगठनों के विरोध के चलते इस विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया गया। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पेश करने, उस पर विचार करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है। मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक को मंजूरी सूत्रों के अनुसार, इसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाना चाहती है। इसके अलावा, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी पेश करने, विचार करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13(3) में और संशोधन कर जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाना है। इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दल के नीट पेपर लौक, पश्चिम एशिया संघर्ष में भारतीय नाविकों की मौत और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की संभावना है। विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा भी संसद के मानसून सत्र में उठाएगा। 30 दिन तक हिरासत में रहने पर मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष कमजोर हुआ है। साथ ही, तमिलनाडु में तमिलना वेत्री कथगम (टीवीके) के सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र

कथगम (द्रमुक) के बीच मतभेद हैं। इन हालात से संसद सत्र के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन का हौसला बढ़ेगा। संसद की एक संयुक्त समिति संविधान संशोधन विधेयक पर एक रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है, जिसमें गंभीर आरोपों के मामले में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार आधिकारिक संशोधन भी ला सकती है। यह सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लिए संख्या बल की परीक्षा होगी, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का समर्थन आवश्यक होता है। इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पारित नहीं हो सका था, क्योंकि

सरकार इसके लिए जरूरी संख्या बल जुटाने में असफल रही थी। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान था। लोकसभा सीट की संख्या 50 प्रतिशत तक सीट बढ़ाना आगामी सत्र में सरकार संसद से पारित कराने के लिए महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन के साथ-साथ परिसीमन विधेयक भी ला सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा सीट की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के साथ ही, महिलाओं के लिए आरक्षण कानून से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के नए मसौदे को लागू करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। यह विधेयक दक्षिणी राज्यों की उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया से लोकसभा में उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।

जल जीवन मिशन की समीक्षा, समयबद्ध ढंग से पेयजल योजनाएं पूरी करने के निर्देश कुशीनगर।

मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्य निर्धारित समयसीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए। अभिशाली अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) ने बताया कि फेज-2 एवं फेज-3 के तहत जनपद में 453 ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इनके माध्यम से 667 ग्राम पंचायतों के 904 राजस्व ग्रामों में 3,34,718 घरों को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

प्यासी घाट पर नदी में मिला अज्ञात शव, पहचान को लेकर बना संशय



भटनी देवरिया।

भटनी थाना क्षेत्र के प्यासी घाट पर शुक्रवार सुबह नदी में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह नदी किनारे पहुंचे स्थानीय लोगों ने पानी में शव तैरता

देखा, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही भटनी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया। प्रथम दृष्टया शव देखने पर वह युवती जैसा प्रतीत हो

लड़की या किन्नर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी स्थिति स्पष्ट

रहा है, लेकिन उसकी पहचान और लिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। स्थानीय स्तर पर किन्नर होने की भी चर्चा है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भटनी थानाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि नदी से एक शव बरामद हुआ है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि शव किसी लड़की का है या किन्नर का। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लिंग की पुष्टि और मृत की कारणों की जानकारी हो सकेगी।

आकाश के वंशम राज नीट में सिटी टॉपर बने

वंशम राज सिंह को मिला देश में 68 वां स्थान



गोरखपुर। टेस्ट की तैयारी कराने वाली सर्विसेज में नेशनल लीडर, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने गर्व के साथ घोषणा की कि गोरखपुर ब्रांच के क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट वंशम राज सिंह, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 68 हासिल करके गोरखपुर सिटी टॉपर बने हैं। इस साल, आकाश के स्टूडेंट्स ने टॉप 10 में चार स्टूडेंट्स, टॉप 50 में 18 स्टूडेंट्स और देश भर में टॉप 100 में 41 स्टूडेंट्स के साथ टॉप रैंक हासिल की और यह संख्या बढ़ती जा रही है। वंशम राज सिंह ने कहा कि 68 वां स्थान लाना और गोरखपुर सिटी टॉपर बनना एक सपना सच होने जैसा है। मैं अपने माता-पिता को हमेशा मुझ पर भरोसा करने के लिए और आकाश में अपने टीचरों को उनके लगातार गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। एस एम त्रिपाठी असिस्टेंट डायरेक्टर गोरखपुर ने कहा कि ‘वंशम की अचीवमेंट पूरे आकाश गोरखपुर परिवार के लिए गर्व का पल है। उनके डिजिटल, कंसिस्टेंसी और सीखने की इच्छा ने उन्हें उनकी तैयारी के दौरान सबसे अलग बनाया। आकाश गोरखपुर के दूसरे टॉप परफॉर्मर्स में शामिल हैं जिसमें अमित कुमार 1209, प्रगवंश दीक्षित 2711, आदर्श यादव 3444, शाश्वत बरनवाल 3482 व दिव्य सिंह को 3583 रैंक मिला है।

निर्माणाधीन कल्याण मंडप का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, गुणवत्ता पर जताया कड़ा रुख



देवरिया।

नगरीय क्षेत्र के विकास और जनसामान्य को मार्गलिक व सार्वजनिक आयोजनों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भुजौली कॉलोनी में आकर ले रही कल्याण मंडप परियोजना की प्रगति का शुक्रवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुंली ने औचक निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट के शीर्ष अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर भवन की तकनीकी बनावट, प्रयुक्त हो रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और अब तक हुए वित्तीय व भौतिक व्यय के विवरणों का बारीकी से मिलान किया। उन्होंने निर्माण की गति को संतोषजनक पाते हुए शेष बचे कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी पारदर्शिता के साथ अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि

लक्ष्मी 5 करोड़ 21 लाख रुपये की कुल लागत से स्वीकृत इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था, जिसे आगामी अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्तमान में भवन का करीब 85 प्रतिशत ढांचागत निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने कार्यदल की संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम की इकाई सीएनडीएस के अभियंताओं को सचेत करते हुए कहा कि परियोजना के अंतिम चरण के कार्यों में भी मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दोहरा लहजे में कहा कि शासकीय भवनों के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर किसी भी स्तर पर विसंगति या शिकायत की गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि फिनिशिंग और आंतरिक साज-सज्जा के काम में तेजी लाते हुए

तय समय के भीतर मंडप को नगर पालिका को सौंपने की तैयारी की जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों को इसका लाभ मिलना शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि समयबद्धता और उच्च कोटि की गुणवत्ता ही किसी भी विकास परियोजना की सफलता की कमाटी है और इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। इस दौरान जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरुण कुमार सिंह, नगर पालिका परिषद देवरिया के तकनीकी अभियंता और सीएनडीएस के प्रवर अभियंता बी.पी. सिंह सहित निर्माण कार्य से जुड़े अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

देवरिया के बाल सुधार गृह में भी संचालित होगा स्काउट-गाइड दल, विकास भवन में बनी रणनीति

देवरिया। जनपद के युवाओं और किशोरों में अनुशासन, स्वावलंबन तथा सेवा भावना का संचार करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को विकास भवन के गांधी सभागार में भारत स्काउट एवं गाइड की जिला कार्यकारिणी की उच्चस्तरीय बैठक मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला मुख्याधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नवाचार की घोषणा की गई, जिसके तहत अब जनपद के बाल सुधार गृह में भी स्काउट-गाइड दल का विधिवत पंजीकरण कर नियमित गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने संगठन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालयों तक के विद्यार्थियों को इस मुहिम से जोड़ना और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना समय की मांग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल सुधार गृह के किशोरों को मुख्यधारा में लाने के लिए यह पहल मिल का पथर साबित होगी। बैठक में मौजूद जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ ने कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के वार्षिक कैलेंडर के अनुरूप जनपद के समस्त राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और सीनोएसई विद्यालयों में स्काउट-गाइड गतिविधियों का संचालन अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता मिलने पर संबंधित प्रबंध तंत्र की जवाबदेही तय की जाएगी।

2027 में अब तक की सबसे बड़ी जीत का लें संकल्प : विनोद राय

कुशीनगर।

भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का पहली बार कुशीनगर आगमन पर जनपद की सीमा से लेकर जिला कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने खेल-नगाड़े और फूल-मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। जिला मुख्यालय रविंदरनगर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए विनोद राय ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनकी चिंता उनके संस्कार में है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर की सातों विधानसभा और दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है।



अब सभी कार्यकर्ता 2027 के विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लें और पार्टी के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम से भी जुड़ें। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री

आर.पी.एन. सिंह तथा पूर्व सांसद राजेश पांडेय ने क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए 2027 में ऐतिहासिक जीत का भरोसा दिलाया। जिलाध्यक्ष दुर्गा राय ने कहा कि विनोद राय के नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत



होगा तथा पार्टी नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री विवेकानंद शुक्ल ने किया, जबकि आभार पूर्व जिलाध्यक्ष जगदंबा सिंह ने व्यक्त किया। स्वागत कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री

जायसवाल, विधायक पी.एन. पाठक, मनीष जायसवाल, विवेकानंद पांडेय, विनय प्रकाश गौड़, सुरेंद्र कुशवाहा, डॉ. अस्मी राय, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, नंदकिशोर मिश्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष

भाजपा के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष का कुशीनगर में भव्य स्वागत

रणजीत राय 'बड़े', ब्लॉक प्रमुख धनंजय तिवारी, रंजना पासवान, विधायकसिनी गौतम, अर्चना प्रदीप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल, वरिष्ठ नेता राधेश्याम पांडेय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नीट-2026 में कुशीनगर के दो होनहारों ने बढ़ाया जिले का मान

आयुष कुमार मिश्रा को AIR 1633, अनन्य सिंह राणा ने लसिल की AIR 9676



कुशीनगर।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-2026) में जनपद के दो होनहार छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाया है। आयुष कुमार मिश्रा ने 720 में 647 अंक प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1633 हासिल की, जबकि अनन्य सिंह राणा ने AIR 9676 प्राप्त कर सफलता का परचम लहराया।



आयुष कुमार मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा के सुपुत्र हैं। मनोज मिश्रा पूर्व में बीआईसी, पड़रौना में गणित प्रवक्ता एवं सीबीएसई प्रभारी रहे हैं तथा वर्तमान में 10+2 गवर्नमेंट यूएचएस, बगहा (बिहार) में प्रधानाचार्य हैं। आयुष की सफलता पर विद्यालय परिवार, शिक्षकों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया। वहीं अनन्य सिंह राणा, फार्मासिस्ट राणा प्रताप सिंह के सुपुत्र तथा मुख्य फार्मासिस्ट डी.एन. सिंह के भतीजे हैं। उनकी सफलता

पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष प्रभुनंद उपाध्याय ने मिठाई खिलाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर बलराम गुप्ता, विद्यानंद सिंह, अनिल मणि त्रिपाठी, अंकुर उपाध्याय, प्रतिभा उपाध्याय, सुमन शुक्ला सहित अनेक लोगों ने उन्हें बधाई दी। दोनों छात्रों की सफलता से पूरे जनपद में खुशी का माहौल है। शिक्षाविदों और समाज के लोगों ने इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मध्यस्थता 2.0: पुराना दीवानी विवाद आपसी रजामंदी से सुलझा, कोर्ट का समय बचा

देवरिया। राष्ट्रीय स्तर पर संचालित मध्यस्थता अभियान 2.0 के तहत जनपद में अदालतों मुकदमों के त्वरित और शांतिपूर्ण निपटारे की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। कलेक्टर और कचहरी परिसर के उच्च मानकों के अनुरूप, जिला सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वर्षों पुराने एक जटिल दीवानी मामले को आपसी समझौते के आधार पर स्थायी रूप से निस्तारित करा दिया गया। यह पूरी कार्रवाई माननीय जनपद न्यायाधीश व प्राधिकरण के अध्यक्ष धनेन्द्र प्रताप सिंह के कुशल मार्गदर्शन और प्राधिकरण की सचिव अर्चना के नेतृत्व में संपन्न हुई। पुरा मामला जदू परसिया निवासी अमरजीत बनाम मार्कण्डेय सिंह से जुड़ा था, जो अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अंकुश श्रीवास्तव की अदालत (कक्ष संख्या 20) में लंबित था। न्यायालय द्वारा इस प्रकरण को आपसी सुलह के लिए प्राधिकरण को प्रेषित किया गया था। सचिव के निर्देश पर मध्यस्थ व पीएलए अध्यक्ष रमेश मिश्रा के सहयोग से दोनों पक्षों को एक फटल पर बुलाकर मैथन वार्ता आयोजित की गई। सौहार्दपूर्ण



वातावरण में हुई इस काउंसिलिंग के दौरान उभय पक्षों को उनके सामाजिक दायित्वों और कर्तव्यों का बोध कराया गया, जिससे उनके बीच वर्षों से चला आ रहा मनमुटाव दूर हो गया। दोनों पक्षकारों ने स्वेच्छ से मुकदमेबाजी को समाप्त कर आपसी रजामंदी से मामले को निस्तारित करने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस सफल मध्यस्थता से न केवल एक पुराने विवाद का अंत हुआ, बल्कि समाज में सद्भाव का संदेश भी गया है।

बाल श्रम के खिलाफ संयुक्त अभियान, एक बाल श्रमिक कराया गया मुक्त

कुशीनगर। श्रम विभाग, पुलिस विभाग और चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने गुरुवार को बाल श्रम के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर पड़रौना-रामकोला रोड स्थित डायमंड चिकन बिरयानी, मोदनवाला भोजनालय और द पार्थ रिजॉर्ट का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान एक बाल श्रमिक को कार्य से मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि बालक के शैक्षिक एवं आर्थिक पुनर्वास को प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रम विभाग ने लोगों से बच्चों से श्रम न करने की अपील करते हुए कहा कि बाल श्रम करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद तथा 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। अभियान में एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट और चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने भी सहभागिता की।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के दो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन

संवाददाता
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह सैनी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के दो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन -कालका और नरवाना का उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास किया जा रहा है जिस पर 1149 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंडी डबवाली, होडल और जींद रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास पहले ही पूरा किया जा चुका है और इन्हें अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह सैनी आज रेलवे स्टेशन कालका पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का जालंधर, पंजाब से सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया जिसमें हरियाणा के दो रेलवे स्टेशन कालका व नरवाना भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि यह हरियाणावासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हरियाणा के दो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये स्टेशन हमारी संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के नये प्रवेश द्वार बनेंगे। उन्होंने कहा की आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कसकमलों से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सहित लगभग 15 हजार करोड़ रुपये लागत की 9 परियोजनाएं हरियाणा को दी हैं। उन्होंने कहा की एक समय था जब रेलवे परियोजनाएं वर्षों तक फाइलों में धूल खाती रहती थीं। स्टेशन केवल यात्रियों के आने जाने की जगह माने जाते थे। लेकिन आज रेलवे स्टेशन देश की नई

मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार
मुख्यमंत्री ने पुनर्विकसित कालका रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्यतिथि के रूप में किया संबोधित
हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास. नाथ सिंह सैनी
हरियाणा की सभी 1,574 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा
हरियाणा में रेलवे परियोजनाओं को मिली अमृतपूर्व गति, बजट 315 करोड़ से बढ़कर 3566 करोड़ रुपये- मुख्यमंत्री

पहचान, नई संस्कृति और नई अर्थव्यवस्था के केंद्र बन रहे हैं। हरियाणा इस परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। वर्ष 2014 में हरियाणा का रेल बजट केवल 315 करोड़ रुपये था। आज वर्ष 2026-27 में यही रेल बजट बढ़कर 3 हजार 566 करोड़ रुपये हो गया है। यह प्रधानमंत्री के हरियाणा के प्रति विश्वास, प्रतिबद्धता और विकास की

प्राथमिकता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा की आज प्रदेश में लगभग 12 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। यह निवेश उद्योग, व्यापार, पर्यटन, रोजगार और विकास की नई संभावनाओं की गति दे रहा है। हरियाणा की 1 हजार 574 किलोमीटर लंबी सभी रेलवे लाइनों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका

है। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल परिवहन की मजबूत नींव भी है। उन्होंने कहा की आज भारत केवल रेलवे का विस्तार नहीं कर रहा बल्कि भविष्य की रेलवे का निर्माण कर रहा है। हरियाणा में आज 8 वें भारत एक्सप्रेस और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं संचालित हो रही हैं। वें भारत भारत की गति का प्रतीक है और अमृत भारत अंतिम पॉइंट में खड़े सामान्य नागरिक की सुविधा का प्रतीक है। उन्होंने बताया की 844 करोड़ रुपये की लागत से रोहतक-महम-हंसी रेलवे लाइन का निर्माण 713 करोड़ रुपये की लागत से सोनीपत-जींद रेलवे लाइन का निर्माण , रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन तथा कुरुक्षेत्र में आधुनिक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया गया है। ये परियोजनाएं विकास की वह नई सोच हैं जो समय बचाती हैं, यातायात सुगम बनाती हैं और शहरों को नई गति प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को

केवल यात्री सेवा तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने रेलवे को देश की आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प लिया है। मानेसर में गति शक्ति कागों टर्मिनल और पाटली-मानेसर फ्रंट सेक्शन का संचालन, सोनीपत के बड़ी में रेल कोच रिपेयर फैक्टरी की स्थापना तथा प्रदेश में आधुनिक माल परिवहन नेटवर्क का विस्तार हरियाणा को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे उद्योगों की लागत घटेगी, निर्यात बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। श्री नाथ सिंह सैनी ने कहा की सुरक्षित रेलवे किसी भी राष्ट्र की पहचान है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा में 33 रेलवे ओवरब्रिज और 139 रेलवे अंडरब्रिज बनाए गए हैं। 123 मानवरेहित रेलवे फाटकों को समाप्त किया गया है। यह हजारों परिवारों की सुरक्षा लाओं लोगों के समय की बचत और आधुनिक भारत की संवेदनशील शासन व्यवस्था का उदाहरण है। आज हरियाणा का रेल नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है।

जींद की इको फ्रेंडली रैली ने ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ पर्यावरण का दिया बड़ा संदेश

चंडीगढ़। जींद में आयोजित इकोफ्रेंडली रैली ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रभावी संदेश दिया। रैली में आमजन, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा प्रवासात्मक अधिकारियों ने ऊर्जापूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने ई-बैकल और अन्य ग्रीन एनर्जी से सज्जित वाहनों का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाते उपरान्त जींद में आयोजित विशाल जनसभा को

संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि वे 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, अकंक्षओं और विश्वास के प्रतीक होने के साथ-साथ विकसित भारत के शिल्पकार भी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा को 14,721 करोड़ रुपये की लागत वाली 9 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को सौंपा प्रदान करने पर उनका आभार व्यक्त किया। श्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में अभूतपूर्व

परिवर्तन देखा है। आज का भारत केवल विकास की बात नहीं करता, बल्कि दुनिया के समरे विकास का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। आधारभूत संरचना, रेल, सड़क, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल व्यवस्था सहित प्रत्येक क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल हरियाणा हो नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कभी भारत दुनिया से तकनीक मगता था लेकिन आज पूरी दुनिया भारत की तकनीक आपनना चाहती है।

कभी भारत अक्सर खोजता था लेकिन आज पूरी दुनिया भारत में अक्सर खोज रही है। कभी भारत को बमता पर सकल उत्तरे वाली दुनिया आज भारत को आत्मनिर्भरता से भरे नए युग का देश मानने लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा की पटौती में होना प्रदेश के लिए गर्व का निषय है। वह प्रधानमंत्री के हौस ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत के विजन का सशक्त उदाहरण है तथा स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने

कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उच्च इंजन सरकार की नईत पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त हुई है। इससे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, मेट्रो, स्वास्थ्य संस्थानों तथा अन्य आधारभूत ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 4435 दिनों के समर्पित कार्यकाल में यह उनका हरियाणा का 18वां दौर है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री प्रदेश की 71 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं समर्पित कर चुके हैं।

आज की परियोजनाएं हरियाणा के विकास को नई गति प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य पूरा किया गया है तथा हर 10 किलोमीटर पर पीएम श्री अथवा संस्कृति मंडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें से 11 कॉलेज पिछले 12 वर्षों में स्थापित हुए हैं।



सक्षम भारत की वेबसाइट से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।